



2026:AHC:47399

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद  
रिट - बी सं. - 781 वर्ष 2026

रखबानी

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, इलाहाबाद

..... प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से अधिवक्ता : मशालुद्दीन शाह  
प्रतिवादी(यों) की ओर से अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को यह अनुमति प्रदान की जाती है कि वे सरफराज को वर्तमान रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या-2 के रूप में पक्षकार बनाएं।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से श्री मुनेश्वर सिंह, विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
3. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित अनुतोष हेतु प्रस्तुत की गई है :-

*“परमादेश की प्रकृति में आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए माननीय राजस्व परिषद, उ०प्र०, प्रयागराज को निर्देशित किया जाए कि वह द्वितीय अपील संख्या S.A./3361/2025 (सरफराज बनाम अपर आयुक्त (प्रथम), वाराणसी मण्डल, वाराणसी एवं अन्य) का विधि के अनुसार, दिनांक 22.09.2022 के समझौते तथा कुरा को विचार में लेते हुए, समयबद्ध अवधि के भीतर निस्तारण करे।”*

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निजी प्रतिवादी द्वारा दाखिल द्वितीय अपील, जिसमें याचिकाकर्ता को विपक्षी पक्षकार के रूप में सम्मिलित किया गया है तथा जो विभाजन वाद से उत्पन्न हुई है, वर्तमान में राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है और उक्त द्वितीय अपील अभी तक स्वीकृत नहीं की गई है। उन्होंने

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह भी निवेदन किया कि लंबित द्वितीय अपील के समयबद्ध एवं शीघ्र निस्तारण हेतु उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएं।

5. प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि प्रतिवादी संख्या-1/राजस्व परिषद, उ०प्र०, प्रयागराज उपर्युक्त लंबित द्वितीय अपील के प्रवेश के संबंध में विधि के अनुसार, संबंधित पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से यथाशीघ्र तथा यथासंभव दो माह की अवधि के भीतर विचार कर उपयुक्त आदेश पारित करे।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

9 मार्च, 2026

सी. प्रकाश

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।